

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं०-147/2021

धारा-144 द०प्र०स०

सुरेन्द्र महतो -बनाम- रामजी प्रसाद मेहता वगै०

2

12/11/21

दारीख

-आदेश-

अभियुक्ति

यह वाद आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन के अवलोकन से पश्चात द०प्र०स० की धारा 144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ दिनांक 25.09.2021 की गई एवं दोनों पक्षों को 02 (दो) माह के लिए विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

मौजा- चम्पाडीह, थाना- बरही, जिला-हजारीबाग।

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
19	1051	09 डी०	उ०- जगदीश महतो द०- नहर का रास्ता पू०- मनोहर महतो व बसु महतो
19	1052	16 डी०	प०- शिव कुमार महतो

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित दाखिल कारण-पृच्छा एवं अन्य कागजातों के छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर उभय पक्षों के बीच पूर्व में वाद सं 121/21 द०प्र०स० की धारा 144 आदेश पारित किया जा चुका है। पूनः वर्तमान वाद में इस न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित करना उचित प्रतित नहीं होता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
बरही, हजारीबाग

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
बरही, हजारीबाग